ट्रस्ट के उपाध्यक्ष को मिली अग्रिम जमानत

कछुओं की मौत के मामले में डीएफओ को लगाई फटकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: महामाया मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सतीश शर्मा को कछुए से शिकार के मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने सतीश शर्मा को अग्रिम जमानत देते हुए वन विभाग के डीएफओ को वन्य जीव अधिनियम के सही जानकारी नहीं होने पर फटकार लगाई है।

महामाया मंदिर ट्रस्ट परिसर के तालाब में मृत कछुए मिले थे। इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत वन विभाग ने मंदिर के उपाध्यक्ष सतीश शर्मा को आरोपित बनाया था। मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी वन विभाग के द्वारा पूर्व में की गई थी और सतीश शर्मा की तलाश वन विभाग की टीम को थी। सतीश शर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वन विभाग से डायरी तलब किया था। सतीश शर्मा के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 9 के तहत सतीश शर्मा पर अपराध दर्ज किया गया है। यह एक्ट शिकार के लिए होता है, पर सतीश शर्मा पर शिकार का आरोप ही नहीं है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सफाई के लिए ताला खुलवाने के लिए अनुमति दी,जिसके बाद सफाई के दौरान कछुए मृत पाए गए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कितने बजे सफाई के लिए अनुमति दी गई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि रात को कौन सी सफाई होती है। तो आप मंदिर की तिजोरी लुटवा देंगे। सतीश शर्मा के अधिवक्ता ने बताया कि नवरात्र के चलते भक्तों की भीड़ रहती है इसलिए रात को ही सफाई करवाई जाती है। ने भले ही शिकार का मामला दर्ज कर दिया है पर यह शिकार का मामला है ही नहीं। न तो शिकार की बात सामने आई है न ही ट्रैफिकिंग की। याचिकाकर्ता मंदिर के उपाध्यक्ष सतीश शर्मा के अधिवक्ता ने कहा कि मंदिर की सफाई एक अकेले उपाध्यक्ष का निर्णय नहीं था, बल्कि निर्णय लिया गया था। दालत को अधिवक्ता ने दिखाई। अदालत द्वारा पूछने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 में क्या है तो अधिवक्ता ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 जहां शिकार को प्रतिबंधित करती हैं, वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 सजा का प्रविधान करती हैं।

9 धारा बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कराने पर जताई गई है आपत्ति

● प्रतीकात्मक चित्र

कोर्ट ने पूछा डीएफओ कितना पढ़ा लिखा है

चीफ जस्टिस ने वन विभाग के अधिवक्ता से पूछा कि डीएफओ कहां तक पढ़ा लिखा है, क्या डिग्री है उसके पास किस तरह एफआइआर करवानी है यह भी उसको नहीं पता, जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत आरोपित बनाया गया है उस पर यह एक्ट (अपीलार्थी सतीश शर्मा) पर लागू ही नहीं होती। डीएफओ को न तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 39 पता है और न 49। किसके ऊपर एफआइआर और क्यों करवाई हैं यह भी उसको नहीं पता। एफआइआर भी उसने अज्ञात के नाम से करवा रखी है।